

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 234] No. 234] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/ CHAITRA 11, 1938

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 31 मार्च, 2016

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा

परियोजना कार्यालय अथवा कोई अन्य कारोबारी जगह स्थापित करना) विनियमावली, 2016

सा.का.िन.384 (अ).-विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 22/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा अन्य कारोबारी जगह की स्थापना को निषिद्ध, प्रतिबंधित और विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

ए. इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा कोई अन्य कारोबारी जगह स्थापित करना) विनियमावली, 2016 कहा जाएगा।

बी. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1605GI/16 (1)

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

ए. 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है।

बी. 'प्राधिकृत व्यापारी' से उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है।

सी. 'विदेशी कंपनी' से भारत से बाहर निगमित कंपनी निकाय अभिप्रेत है और उसमें फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई संगठन शामिल है।

डी. किसी कंपनी के संबंध में शाखा कार्यालय के रूप में वह संस्थापन अभिप्रेत है जिसे कंपनी ने तत्दरूप में अभिहित (वर्णित) किया हो।

ई. 'संपर्क कार्यालय' का अभिप्राय किसी भी नाम से अभिहित कारोबारी मूल स्थल अथवा प्रधान कार्यालय और भारत में संस्थाओं के बीच संचार के लिए कार्य करने वाले कारोबारी स्थल से है किंतु जो कमर्शियल/ट्रेडिंग/औद्योगिक गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संलग्न नहीं है और स्वयं विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनेल के जरिए आए आवक विप्रेषण से अपना रख-रखाव करता है।

एफ. 'परियोजना कार्यालय का अभिप्राय भारत में किसी परियोजना को लागू करने के लिए किसी विदेशी कंपनी के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में स्थापित कारोबारी स्थल से है, किंतु उसमें संपर्क कार्यालय शामिल नहीं है।

जी. 'साइट आफिस' का अभिप्राय परियोजना कार्यालय के उप-कार्यालय के रूप में परियोजना के साइट पर स्थापित कार्यालय से है किंतु उसमें संपर्क कार्यालय शामिल नहीं है।

एच. 'एकल आधार पर (Stand-alone basis)' का अभिप्राय ऐसे शाखा कार्यालय से है जो एकल और विशेष आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित हो तथा भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर उसे कोई कारोबारी गतिविधि / लेन-देन करने की अनुमति नहीं होगी जिसमें भारत में उसके मूल कार्यालय की शाखाएं / सहायक कंपनियां शामिल हैं।

आई. इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा कारोबारी स्थल स्थापित करने पर प्रतिबंध

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा कारोबारी अन्य स्थान, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, इन विनियमों में किये गये विनिर्देशन के सिवाय नहीं खोल सकेगा।

बशर्ते कि

ए. भारत से बाहर की निवासी किसी ऐसी बैंकिंग कंपनी को भारत में कार्यालय खोलने के लिए इस विनियमावली के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होंगी यदि उसने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया हो।

बी. भारत से बाहर की निवासी किसी ऐसी बीमा कंपनी को भारत में कार्यालय खोलने के लिए इस विनियमावली के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उसने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारण अधिनियम, 1999 की धारा 3 अंतर्गत स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारण से एतदर्थ प्राधिकार प्राप्त किया हो।

सी. भारत से बाहर की निवासी कंपनी को विनिर्माण और सर्विस/सेवा गतिविधियां करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में शाखा कार्यालय खोलने हेतु इस विनियमावली के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि :

- i) ऐसे कार्यालय उन क्षेत्रों में कार्यरत हों जहां 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत हो,
- ii) ऐसे शाखा कार्यालय कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXII का अनुपालन करते हों,
- iii) ऐसे शाखा कार्यालय एकल आधार पर कार्यरत हों।

4. भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा अन्य कारोबारी स्थल खोलने के लिए अनुमोदन

ए. पात्रता

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय स्थापित कर सकता है बशर्ते वह निम्नलिखित मानदंड पूरे करता हो :

- शाखा कार्यालय के लिए अपने गृह देश में विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान लाभ में बने रहने का ट्रैक रेकार्ड रखता हो और उसकी निवल मालियत 100,000 अमेरिकी डालर अथवा उसके समतुल्य हो,
- ii. <u>संपर्क कार्यालय के लिए</u> अपने गृह देश में विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लाभ में बने रहने का ट्रैक रेकार्ड रखता हो और उसकी निवल मालियत **50,000** अमेरिकी डालर अथवा उसके समतुल्य हो।

बशर्ते कि भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ न हो और जो किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी हो वह अपनी मूल कंपनी से चुकौती आश्वासन पत्र (अनुबंध ए) प्रस्तुत कर सकेगी बशर्ते मूल कंपनी निवल मालियत और लाभ संबंधी मानदंडों को पूरा करती हो।

बी. अनुमत गतिविधियां

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति अनुसूची-। अथवा ॥ (अनुबंध बी), जैसा भी मामला हो, में किए गए विनिर्देशानुसार किसी गतिविधि को करने के लिए इस विनियमावली के तहत रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अनुमित के अंतर्गत भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय स्थापित कर सकता है, किन्तु ऐसी कोई अन्य गतिविधि नहीं कर सकता है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विशेषरूप से अनुमित प्रदान न की गयी हो।

सी. आवेदन फार्म

भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य कारोबारी स्थल की स्थापना करने का इच्छुक भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति फार्म एफएनसी (अनुबंध सी) में अपना आवेदन पत्र किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करेगा जो इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, विनियम 5 के उपबंधों के अंतर्गत, अनुमोदन प्रदान कर सकता है। यदि भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति अनुमोदन प्राप्त करने की तारीख से 6 महीने के भीतर कार्यालय नहीं खोलता है तो भारत में कार्यालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया अनुमोदन रद्द किया जाएगा। यदि भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों वश विनिर्दिष्ट समयाविध में कार्यालय खोलने में विफल रहता है तो (आवेदन किए जाने पर) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऐसा कार्यालय खोलने के लिए छः माह की और अविध का समय विस्तार प्रदान कर सकता है। तदुपरांत इस संबंध में और समय विस्तार प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमित आवश्यक होगी।

डी. संपर्क कार्यालय के लिए वैधता अवधि में विस्तार

I. भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति विनियम 4 डी(III) के उपबंधों के अंतर्गत तीन वर्षों की अविध के लिए इन विनियमों के अंतर्गत संपर्क कार्यालय स्थापित कर सकता है। अनिवासी कंपनी/संस्था वैधता अविध में विस्तार के लिए संबिन्धित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को आवेदन कर सकता है, और ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, संबिन्धित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अंतर्गत, प्रदत्त मूल अनुमोदन/विस्तारित अविध की समाप्ति की तारीख से तीन वर्षों की अविध के लिए विस्तार प्रदान कर सकता है।

II. बैंकों और बीमा कारोबारी कंपनियों के संपर्क कार्यालयों की वैधता अवधि में विस्तार के आवेदनपत्र क्रमशः बैंककारी विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सीधे प्रस्तुत किए जाएंगे।

III. विनिर्माण और विकास क्षेत्र में संलग्न एंटिटीज़ जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं उन्हें केवल दो वर्षों के लिये संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमित दी जाती है। ऐसी एंटिटीज जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं और विनिर्माण और विकास क्षेत्र में संलग्न (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कंपनियों को छोड़कर) हैं उनके संपर्क कार्यालयों को समय-विस्तार प्रदान करने की अनुमित नहीं होगी। वैधता अविध की समाप्ति पर ऐसे कार्यालय या तो बंद करने होंगे अथवा मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुरूप संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में परिवर्तित किए जाएंगे।

ई. अतिरिक्त कार्यालय

अतिरिक्त शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय स्थापित करने के इच्छुक भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति अतिरिक्त कार्यालय/यों की युक्तियुक्तता संबंधी आवश्यकता को प्रस्तुत करते हुए नया FNC फॉर्म प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –l बैंक को प्रस्तुत करेंगे ।

एफ. परियोजना कार्यालय

- तोई विदेशी कंपनी भारत में परियोजना कार्यालय खोल सकती है बशर्ते उसने भारत में परियोजना को लागू करने हेतु
 किसी भारतीय कंपनी से संविदा/ठेका प्राप्त किया हो, और
 - i. परियोजना का प्रत्यक्ष निधीयन विदेश से आवक विप्रेषण के जरिए किया गया हो; अथवा
 - ii. परियोजना का निधीयन द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी द्वारा किया गया हो; अथवा
 - iii. परियोजना को उचित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो; अथवा
 - iv. संविदा/ठेका देने वाली भारतीय कंपनी अथवा संस्था को भारत में सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा बैंक द्वारा परियोजना के लिए दीर्घावधि ऋण प्रदान किया गया हो।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए,

- द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी' का अभिप्राय विश्व बैंक अथवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा समतल्य संस्था से है।
- ii. 'सार्वजनिक वित्तीय संस्था' वह सार्वजनिक वित्तीय संस्था है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए में परिभाषित है।
- II. पाकिस्तान से भिन्न किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति जिसे सरकारी प्राधिकारण/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किसी परियोजना के लिए संविदा/ठेका प्रदान किया गया है, वह रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमित के बिना किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास बैंक खाता खोल सकता है।

जी. राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीयन

बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हाँगकाँग अथवा मकाउ के व्यक्ति को भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी भी प्रकार के कारोबार स्थल की स्थापना के लिए संबन्धित राज्य के पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक द्वारा इन देशों के व्यक्तियों को दिए गए अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग–I, भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी।

एच. निधि / गैर-निधि आधारित सुविधाएं

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–l बैंक इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर ही शाखा कार्यालयों और परियोजना कार्यालयों को निधि और /अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

आई. लाभ अथवा अधिशेष (surplus) का विप्रेषण

- l. शाखा कार्यालय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–l बैंक, जिसके जरिए विप्रेषण किया जाना/जाता है, की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, भारत में देय करों को घटाकर लाभ भारत से बाहर विप्रेषित कर सकता है:
 - i. संबन्धित वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखे की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 - ii. सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जिसमें निम्नलिखित प्रमाणित किया गया हो :
 - 1. विप्रेषणीय लाभ के आकलन का तरीका :
 - 2. अनुमत गतिविधियों को करने से विप्रेषणीय लाभ अर्जित किया गया है;
 - 3. लाभ में शाखा की परिसंपत्तियों के पुनर्मुल्यन से हुआ लाभ शामिल नहीं है।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक परियोजना की समाप्ति / पूर्ण होने तक छिटपुट विप्रेषण करने की अनुमित निम्नलिखित की प्रस्तुति पर दे सकते हैं:
 - i. अंतिम लेखापरीक्षित परियोजना लेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

- ii. सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें यह दर्शाया गया हो कि विप्रेषणीय अधिशेष किस प्रकार आकलित किया गया है
 और इस बात की पृष्टि की गई हो कि आयकर आदि सहित भारत में देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- iii. परियोजना कार्यालय से इस आशय का वचनपत्र कि विप्रेषण से भारत में परियोजना के पूर्ण होने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और भारत में देयताओं को पूर्ण करने के लिए यदि निधियों में कोई कमी होगी तो उसे/उन्हें विदेश से आवक विप्रेषण द्वारा पूरा किया जाएगा।

जे. संपत्ति का अर्जन

शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा संपत्ति का अर्जन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियमावली के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित होगा।

के. परिसम्पत्तियों का अंतरण

इन विनियमों के अंतर्गत शाखा कार्यालय, अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय स्थापित करने के लिए अनुमत भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति संबन्धित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक को अपनी परिसंपत्तियों को भारत में किसी संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अथवा किसी अन्य संस्था(एंटिटी) को अंतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुदेशों से दिशानिर्देशित होंगे।

एल. वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (AAC)

शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय 31 मार्च के अंत में प्राप्ति और भुगतान सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अपने वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (अनुबंध डी) सहित संबंधित वर्ष के 30 सितंबर से पूर्व अथवा तक प्रस्तुत करे। यदि संबन्धित कार्यालय के वार्षिक लेखे 31 मार्च से भिन्न किसी अन्य तारीख के अनुसार तैयार किए जाते हों तो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र तुलनपत्र की नियत तारीख से 6 माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक और आयकर महानिदेशालय (अंतरराष्ट्रीय कराधान), ड्रम शेप बिल्डिंग, इंद्रप्रस्थ (IP)इस्टेट, नई दिल्ली–110002 को प्रस्तुत करेगा।

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–l बैंक को परियोजना कार्यालय द्वारा सनदी लेखापरीक्षक द्वारा प्रदत्त वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है जिसमें परियोजना की स्थिति का उल्लेख हो और यह प्रमाणित किया गया हो कि परियोजना कार्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा की गई है और उसकी गतिविधियां रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त सामान्य/विशिष्ट अनुमति के अनुरूप रही हैं।

एम. कार्यालय को बंद करना और समापनगत आगम राशि का विप्रेषण

- l. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ शाखा कार्यालय / संपर्क कार्यालय को बंद करने का अनुरोध प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–l बैंक को प्रस्तुत किया जाए;
- i. कार्यालय स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–l बैंक से प्राप्त अनुमोदन प्रति की प्रतिलिपि ।
- ii. लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:
 - 1. विप्रेषणीय राशि आकलित करने का तरीका तथा आवेदक की परिसम्पत्तियों और देयताओं का विवरण एवं परिसंपत्तियों के निपटान का तरीका :
 - 2. कार्यालय के कर्मचारियों, आदि की उपदान राशि और अन्य लाभों के बकाया सहित भारत में सभी प्रकार की देयताओं को पूर्णतः पूरा किया गया है अथवा उसके लिए पर्याप्त प्रावधान होने की पुष्टि का प्रमाणपत्र;
 - 3. इस बात की पृष्टि कि भारत से बाहर के स्रोतों से उपचित राशि (निर्यात की आगम राशि सहित) भारत में अप्रत्यावर्तित रहना शेष न हो।
- iii. आवेदक / मूल कंपनी से इस आशय की पुष्टि कि भारत में किसी भी न्यायालय में कोई विधिक कार्रवाई संबन्धित कार्यालय के विरुद्ध लंबित नहीं है और विप्रेषण करने में कोई काननी अड़चन नहीं है।
- iv. भारत में शाखा कार्यालय / संपर्क कार्यालय के समाप्त करने के मामले में, कंपनी रजिस्ट्रार से इस आशय की रिपोर्ट कि कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।
- v. रिज़र्व बैंक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–l बैंक द्वारा अनुमोदन प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।
- II. भारत में स्थापित शाखा अथवा संपर्क कार्यलय के समापन पर किए जाने वाले विप्रेषण विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित होंगे।

5. भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य कारोबारी स्थल(कार्यालय) की स्थापना के लिए कतिपय मामलों में रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी अन्य कारोबारी स्थल को खोलने के निम्नलिखित मामलों में किए गए आवेदनों पर रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा:

- ए. आवेदक पाकिस्तान का नागरिक अथवा में पंजीकृत/निगमित है।
- बी. आवेदक बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हाँग-काँग अथवा मकाउ का नागरिक अथवा में पंजीकृत/निगमित है और आवेदनपत्र जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में संपर्क कार्यालय, शाखा अथवा परियोजना कार्यालय खोलने हेत् दिया गया है।
- सी. आवेदक का प्रधान कारोबार चार क्षेत्रों अर्थात रक्षा, दूर-संचार, निजी सुरक्षा तथा सुचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में आता है :
 - बशर्ते रक्षा क्षेत्र से संबन्धित परियोजना कार्यालय खोलने के प्रस्ताव के मामलों में अनिवासी आवेदक को यदि रक्षा मंत्रालय अथवा सर्विस हैडक्वार्टर अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) द्वारा यदि कोई कांट्रैक्ट प्रदान किया गया है/एग्रीमेंट किया गया है तो उसे भारत सरकार से एतदर्थ अलग से संदर्भित करने / अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- डी. आवेदक विदेशी सरकार का गैर-सरकारी संगठन, लाभ-रहित संगठन, बॉडी/एजेंसी/विभाग हो।

ऐसे आवेदनपत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-l बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को अग्रसारित किए जाएंगे और भारत सरकार के परामर्श से उन पर विचार किया जाएगा।

[सं.फेमा. 22(आर) /2016-आरबी]

इंदिरा नानू, मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध ए

चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर आफ कंफर्ट) का फॉर्मेट [देखें विनियम 4(ए)]

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-l बैंक का पता)

महोदय

विषय: हमारी सहायक/समूह कंपनी, मेसर्स----- द्वारा भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

आप कृपया हमारी सहायक/समूह कंपनी, मेसर्स------ द्वारा भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय की स्थापना के लिए आपके कार्यालय को प्रस्तुत आवेदन देखें।

- 2. इस संबंध में, हम, ------(मूल कंपनी/ग्रुप कंपनी) वचन देते हैं कि अपनी सहायक/समूह कंपनी के भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय के रूप में परिचालनों के लिए आवश्यक वित्तीय समर्थन प्रदान करेंगे। यदि भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय के कार्य के कारण कोई देयता उत्पन्न होती है और शाखा/संपर्क कार्यालय देयता चुकाने में असमर्थ होता है तो हम (मूल कंपनी/ग्रुप कंपनी) उसकी चुकौती करेंगे।
- 3. हम सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट द्वारा अपने प्रमाणित अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र/लेखा विवरण के फॉर्म में अपनी कंपनी की वित्तीय पृष्ठभूमि भी संलग्न करते हैं।

भवदीय

()

मूल कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि

अनुबंध बी

अनुसूची।

[देखें विनियम 4(बी)]

भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के भारत में शाखा कार्यालय के लिए अनुमत कार्य (गतिविधियां)

- i. वस्तुओं/माल का निर्यात /आयात।
- ii. व्यावसायिक अथवा परमर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- iii. मूल कंपनी से संबंधित अनुसंधान कार्य करना।
- iv. भारतीय कंपनियों और मूल कंपनी अथवा विदेशी समूह कंपनी के बीच तकनीकी और वित्तीय सहयोग को बढ़ाना।
- v. मूल कंपनी का भारत में प्रतिनिधित्व करना और भारत में खरीद/बिक्री एजेंट के रूप में कार्य करना।
- vi. भारत में सूचना प्रोद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं प्रदान करना।
- vii. मूल / समूह कंपनियों द्वारा आपूर्त किये गये उत्पादों के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- viii. विदेशी विमानन/जहाजरानी कंपनी का प्रतिनिधित्व करना।

अनुसूची-।। [विनियम 4(बी) देखें]

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के भारत में संपर्क कार्यालय के लिए अनुमत कार्य(गतिविधियां)

- i. भारत में मूल कंपनी / समूह कंपनी का प्रतिनिधित्व करना।
- ii. भारत से / भारत में निर्यात-आयात को बढ़ाना।
- iii. मूल कंपनी / समूह कंपनियों और भारत स्थित कंपनियों के बीच तकनीकी/वित्तीय सहयोग को बढ़ाना।
- iv. मूल कंपनी और भारतीय कंपनियों के बीच सूचना माध्यम के रूप में कार्य करना।

अनुबंध सी

फॉर्म एफ.एन.सी.

[कृपया विनियम 4(सी) देखे]

[इस आवेदन-पत्र को पूरा भर कर इसे मद सं.(viii) में दिए गए घोषणापत्र में उल्लिखित दस्तावेजों सहित आवेदक इसे अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को प्रस्तुत करें।]

भाग – I

भाग — क्र.सं.	ब्योरे	विवरण
1.	i) आवेदक का पूर्ण नाम और पता	
	ii) निगमन/पंजीकरण की तारीख और स्थान	
	iii) टेलीफोन संख्या	
	iv) फैक्स संख्या	
	v) ई-मेल आइडी	
2.	i. पूंजी के ब्योरे	
	ं. ii. प्रदत्त पूंजी	
	iii. पिछले लेखा परिक्षित तुलनपत्र / वित्तीय विवरण के	
	अनुसार निर्बंध प्रारक्षित निधियां / प्रतिधारित आय	
	iv. अमूर्त परिसंपत्तियां, यदि कोई हो	
3.	आवेदक के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण	
4.	i) आवेदक द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत को / से आयातित और / अथवा निर्यातित माल की कीमत	
	ए. भारत से आयात (imports from India)	
	बी. भारत को निर्यात	
	ii) भारत में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूदा व्यवस्था के ब्योरे, यदि कोई हो	
	iii) प्रस्तावित संपर्क/ शाखा कार्यालय के ब्योरे:	
	ए. कार्यालय द्वारा की जानेवाली / प्रदान की जानेवाली प्रस्तावित गतिविधियों / सेवाओं के ब्योरे	
	बी. वह स्थान जहां कार्यालय स्थित है	
	सी. फोन नंबर	
	डी. ई-मेल आइडी	
	ई. कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या	
	(विदेशियों की संख्या के साथ)	
5.	i. आवेदक के अपने देश के बैंकर का नाम और पता	
	ii. टेलीफोन और फैक्स संख्या	
	iii. ई-मेल आइडी	
6.	लाभ रहित / गैर-सरकारी सगठनों के लिए:	
	i. आवेदक संगठनों द्वारा मेजबान देश और अन्य देशों में किये जानेवाले कार्यकलापों के ब्योरे।	
	ii. भारत में परिचालनों के लिए निधियन का अपेक्षित स्तर।	
	iii. संगठन के उप-विधियों, संस्था के अंतर्नियमों की प्रतियाँ	
7.	परियोजना कार्यालयों के लिए:	
	i. संदर्भ सं. और कांट्रैक्ट प्राप्त करने संबंधी पत्र की तारीख	

	ii.	परियोजना/कांट्रैक्ट देने वाले प्राधिकारी का ब्योरा	
	iii.	कांट्रैक्ट का कुल मूल्य	
	iv.	परियोजना कार्यालय का पता/ई-मेल/टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर	
	٧.	परियोजना कार्यालय की अवधि	
	vi.	परिचालित की जा रही परियोजना का स्वरूप	
8.	कोई अन	य जानकारी जो आवेदक कंपनी इस आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है।	

भाग – 🛚

आवेदक द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी जहां दिनांक 31, मार्च 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 22 (आर)-2016-आरबी के विनियम 5 अंतर्गत रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

।. कंपनी / फ़र्म के संबंध में विवरण

鋉.	कंपनी का पूरा नाम	कंपनी के पंजीकरण की तिथि	कंपनी के प्रधान कार्यलय, क्षेत्रीय कार्यालय और पंजीकृत कार्यालय का पता	कंपनी का पूर्व नाम, यदि कोई हो	पिछले अनुमोदनों/ अनुमोदन निरस्तीकरण, यदि कोई हों का विवरण (संदर्भ सं. और तारीख)	संपर्क कार्यालय/ शाखा कार्यालय/ परियोजना कार्यालय के लिए डीईए द्वारा विनिर्दिष्ट आवदेनपत्र संलग्न है

II. निदेशकों / महत्वपूर्ण कार्यपालकों के ब्योरे

क्र .	बोर्ड के	वर्तमान पद	जन्म-	प्रतिशत	वर्तमान और	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट सं	संपर्क पता
	निदेशकों और	और पद	तिथि		स्थायी पता		एवं उसकी	एवं टेलीफ़ोन
	महत्वपूर्ण	ग्रहण की					निर्गम तिथि	नंबर
	कार्यपालकों	तारीख (जब						
	का पूरा नाम	से उक्त पद						
	(जाहन भी	ग्रहण किया						
	लागू हो)	गया है)						

III. आवेदक कंपनी के शेयरधारकों के ब्योरे (वे सभी फर्म्स /कंपनियाँ /एंटिटियाँ /व्यक्ति जिनके पास 10% से अधिक की शेयरधारिता है)

豖.	पूरा	प्रतिशत	जन्म	स्थायी	वर्तमान	धारित	राष्ट्रीयता	कंपनी में
	नाम	माता /	तिथि	पता	पता	वर्तमान	(यदि दोहरी राष्ट्रीयता का	धारित शेयरों
		पिता	1/11/4			पद	धारक हो, तो दोनों के बारे	का प्रतिशत %
							में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया	
							जाए)	

IV. कंपनी / निदेशक(कों) के विरुद्ध आपराधिक मामले, यदि कोई हों, जिनके लिए सुरक्षा संबंधी अनापत्ति (क्लियरेंस) मांगी गई हो :

- ए. कंपनी का नाम, पता और पंजीकरण संख्या
- बी. कंपनी के स्वामियों, प्रमोटरों और निदेशकों के नाम और पते
 - 1.
 - 2.
 - 3
 - 4
- सी. क्या ऊपर उल्लिखित कंपनी के स्वामियों, प्रमोटरों और निदेशकों के नाम निम्नलिखित में से किसी के अधीन हैं?
 - 1. निवारक नज़रबंदी संबंधी कार्रवाई : हाँ / ना
 - 2. आपराधिक मामलों में कार्रवाई : हाँ / ना
- डी. यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित ब्योरे दें :
 - 1. नज़रबंदी / मामला / एफ़आईआर / वारंट नंबर
 - 2. पुलिस स्टेशन / जिला / अभिकरण(एजेंसी)
 - 3. कानून की धारा
 - 4. न्यायालय का नाम एवं स्थान
- ई. उल्लिखित ब्योरे भारत और भारत के अलावा अन्य देशों (दोनों) से संबंधित हैं।

घोषणापत्र

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि :

- i. उपर्युक्त में दिये गये ब्योरे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं ।
- ii. भारत में हमारे कार्यकलाप उपर्युक्त स्तंभ 4(iii)(ए) /7(vi) में दर्शाये गए कार्यकलापों तक सीमित होंगे ।
- iii. यदि हम अपना कार्यालय उसी शहर में स्थानांतरित करेंगे तो हम अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक को इस बारे में सूचित करेंगे। यदि हम अपना कार्यालय भारत में किसी अन्य शहर में स्थानांतरित करेंगे तो हम अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक से इस संबंध में पूर्वानुमोदन लेंगे।
- iv. हम भारत सरकार/रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे ।
- ν. हम एतद्वारा प्रतिबद्ध है कि हम भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा विदेश में हमारे बैंकर से मांगी गयी रिपोर्ट / अभिमत देंगे।
- vi. हम समझते हैं कि अनुमोदन, यदि प्रदान किया जाता है, तो केवल फेमा की दृष्टिकोण से है। किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी / विभाग / मंत्रालय से कोई अन्य अनुमोदन /सांविधिक अथवा अन्यथा मंजूरी (क्लिअरन्स) आवश्यक है तो भारत में परिचालन शुरू करने से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा ।
- vii. रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के ब्योरे पब्लिक डोमेन पर रखने के संबंध में हमें कोई आपत्ति नहीं है।
- viii. हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं:
 - ए. कंपनी जिस देश में पंजीकृत है, वहाँ के निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र और संस्था के अंतर्गमन और बहिर्गमन (मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल अँड असोशिएशन) की प्रतिलिपि जिसे पब्लिक नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो ।
- [यदि मूल प्रमाणपत्र अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है, तो उसे अंग्रेजी में अनूदित और उपर्युक्त के अनुसार नोटराइज्ड किया जाए और अपने देश में भारतीय दूतावास / वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रति सत्यापित / साक्ष्यांकित की जाए]
 - बी. आवेदक कंपनी का संपर्क कार्यालय के मामले में पिछले तीन वर्षों का तथा शाखा कार्यालय के मामले में पिछले पाँच वर्षों का लेखापरिक्षित तुलन-पत्र ।

[यदि आवेदक के अपने देश के कानून / विनियम लेखों की लेखापरीक्षा पर जोर नहीं देते हैं तो निवल मालियत स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटंट (सीपीए) अथवा किसी नाम से पंजीकृत लेखा व्यावसायिक द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाए] सी. मेजबान देश/पंजीकरण किए गए देश में आवेदक के बैंकर से उस बैंक के साथ आवेदक के बैंकिंग-संबंधों की, वर्षों की संख्या दर्शाते हुए, रिपोर्ट।

डी. आवेदक एंटीटी के प्रमुख द्वारा फॉर्म एफ़एनसी पर हस्ताक्षर न किए जाने के मामले में उस हस्ताक्षरी को जारी प्राधिकार पत्र जो फॉर्म एफ़एनसी पर हस्ताक्षर करेगा।

(आवेदक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम:
पदनाम
स्थान :
दिनांक:
अनुबंध डी
वार्षिक कार्यकलाप प्रमाणपत्र
[दे खें विनियम 4 (एल)] यह जिस किसी से संबंधित है
यह प्रमाणित किया जाता है तथा इस बात की पृष्टि की जाती है किसेतक की अवधि के दौरान मेसर्स
[यूआइएन(जहां कहीं लागू हो)-] के शाखा/संपर्क कार्यालय पैन सं. (जहां कहीं लागू हो) ने रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत
व्यापारी श्रेणी- बैंक द्वाराके अनुमोदन पत्र/पत्रों सं के जरिये विशिष्ट रूप से अनुमत किये गये कार्यकलाप ही
किये हैं और उपर्युक्त पत्र/पत्रों में उल्लिखित/ विनिर्दिष्ट शर्त/शर्तों का पालन किया है। यदि उसके पते एवं संपर्क संबंधी ब्योरे/रों में कोई
परिवर्तन हुआ, तो उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-l बैंक के ध्यान में लाया गया है।
केवल परियोजना कार्यालय के लिए
2. परियोजना कार्यालय की स्थिति (स्टेटस):
3. यह प्रमाणित किया जाता है किसेसेअवधि के दौरान रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमित के बिना इंटर प्रोजेक्ट फंड ट्रांस्फर नहीं किया गया है।
(लेखापरीक्षक/कों के हस्ताक्षर)
सनदी लेखाकार का नाम :
आइसीएआई सदस्यता सं.:
पता :
स्थान :
दिनांक :

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st March, 2016

Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016

G.S.R.384.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 22/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following regulations to prohibit, restrict and regulate establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business by a person resident outside India:-

1. Short title and commencement.—

- a. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016.
- b. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires –

- a. 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
- 'Authorised Dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of Section 10 of the Act.
- Foreign company' means a body corporate incorporated outside India and includes a firm or other association of individuals.
- d. 'Branch Office' in relation to a company, means any establishment described as such by the company.
- e. 'Liaison Office' means a place of business to act as a channel of communication between the principal place of business or Head Office or by whatever name called and entities in India but which does not undertake any commercial /trading/ industrial activity, directly or indirectly, and maintains itself out of inward remittances received from abroad through normal banking channel.
- f. 'Project Office' means a place of business in India to represent the interests of the foreign company executing a project in India but excludes a Liaison Office.
- g. 'Site Office' means a sub-office of the Project Office established at the site of a project but does not include a Liaison Office.
- h. 'Stand-alone basis' means such branch offices would be isolated and restricted to the Special Economic Zone alone and no business activity/ transaction will be allowed outside the Special Economic Zones in India which includes branches/subsidiaries of its parent office in India.
- The words and expressions used but not defined in these Regulations, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition against opening a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business in India

No person resident outside India shall without prior approval of the Reserve Bank open in India a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business by whatever name called except as laid down in these Regulations.

Provided that

- a. A banking company resident outside India shall not require any approval under these Regulations for establishing any office in India if such company has obtained necessary approval under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.
- b. An insurance company resident outside India shall not require any approval under these Regulations for establishing any office in India if such company has obtained approval from the Insurance Regulatory and Development Authority established under section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.
- c. A company resident outside India shall not require any approval under these Regulations to establish a branch office in the Special Economic Zones (SEZs) to undertake manufacturing and service activities, subject to the conditions that:
 - i) such branch offices are functioning in those sectors where 100% FDI is permitted;
 - ii) such branch offices comply with Chapter XXII of the Companies Act, 2013; and
 - iii) such branch offices function on a stand-alone basis.

4. Approval for opening a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business in India

a. Eligibility

A person resident outside India can establish a branch office or a liaison office in India provided it meets the following criterion:

- For Branch Office a profit making track record during the immediately preceding five financial years in the home country and net worth of not less than USD 100,000 or its equivalent.
- For Liaison Office a profit making track record during the immediately preceding three financial years in the home country and net worth of not less than USD 50,000 or its equivalent.

Provided that a person resident outside India that is not financially sound and are subsidiaries of other companies may submit a Letter of Comfort (Annex A) from their parent company subject to the condition that the parent company satisfies the prescribed criterion for net worth and profit.

b. Permissible activities

A person resident outside India permitted by the Reserve Bank under these Regulations to establish a branch or liaison office in India may undertake or carry on any activity specified in Schedule I or II (Annex B), as the case may be, but shall not undertake or carry on any other activity unless otherwise specifically permitted by the Reserve Bank.

c. Application form

A person resident outside India desiring to establish a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business in India shall submit an application in Form FNC (Annex C) to an Authorised Dealer Category-I bank who may, subject to the provisions of Regulation 5, grant approval as per the directions and/or guidelines issued by the Reserve Bank in this regard. In case no office is opened by the person resident outside India within six months from the date of approval letter, the approval for establishing the office in India shall be cancelled. In cases where the person resident outside India is not able to open the office within the stipulated time frame due to reasons beyond their control, the Authorised Dealer Category-I bank may consider granting extension of time for setting up the office by a further period of six months. Any further extension of time shall require the prior approval of the Reserve Bank in this regard.

d. Extension of the validity period for liaison office

- A person resident outside India may establish in India under these Regulations a liaison office for a period of three years subject to the provisions of Regulation 4 d (III). The non-resident entity may apply to the Authorised Dealer Category-I bank concerned for extension of the validity period of approval, and upon receipt of such an application, the Authorised Dealer Category-I bank concerned may extend the validity period of approval for a period of three years from the date of expiry of the original approval / extension granted, subject to such directions issued by the Reserve Bank in this regard.
- II. The application for extension of the validity period of the liaison office of banks and entities engaged in insurance business has to be directly submitted to the Department of Banking Regulation (DBR), Reserve Bank and the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) respectively.
- III. Entities engaged in construction and development sectors and which are Non-Banking Finance Companies are permitted to open a Liaison Office for two years only. No further extension would be considered for liaison offices of entities which are Non-Banking Finance Companies and those engaged in construction and development sectors (excluding infrastructure development companies). Upon expiry of the validity period, the offices shall have to either close down or be converted into a Joint Venture / Wholly Owned Subsidiary in conformity with the extant Foreign Direct Investment policy.

e. Additional offices

A person resident outside India desiring to establish additional branch office or liaison office may submit to the Authorised Dealer Category-I bank a fresh FNC Form along with the justification for the need for additional office/s.

f. Project office

- I. A foreign company may open project office/s in India provided it has secured from an Indian company, a contract to execute a project in India, and
 - i. the project is funded directly by inward remittance from abroad; or
 - ii. the project is funded by a bilateral or multilateral International Financing Agency; or
 - iii. the project has been cleared by an appropriate authority; or

iv. a company or entity in India awarding the contract has been granted term loan by a Public Financial Institution or a Bank in India for the Project.

Explanation:

For the purpose of this Regulation,

- i. 'a bilateral or multilateral International Financing Agency' means the World Bank or the International Monetary Fund or similar other body.
- "Public Financial Institution" is a public financial institution as defined in Section 4A of the Companies Act, 1956.
- II. A person from any country other than Pakistan who has been awarded a contract for a project by a Government Authority/ Public Sector Undertaking may open a bank account with an Authorised Dealer Category-I bank without any prior approval from the Reserve Bank.

g. Registration with State Police Authorities

A person from Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Iran, China, Hong Kong or Macau opening a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business in India shall have to register with the concerned State Police Authorities. Copy of approval letter for 'persons' from these countries shall be marked by the AD Category-I bank to the Ministry of Home Affairs, Internal Security Division-I, Government of India, New Delhi.

h. Fund/non-fund based facilities

Authorised Dealer Category-I bank may extend fund and/or non-fund based facilities to branch office and project offices based on the guidelines issued by the Reserve Bank in this regard.

i. Remittance of profit or surplus

- I. Branch office may remit outside India profit of the branch net of applicable Indian taxes, on production of the following documents to the satisfaction of the Authorised Dealer Category-I bank through whom the remittance is effected:
 - A certified copy of the audited Balance Sheet and Profit and Loss account for the relevant year.
 - ii. A Chartered Accountant's certificate certifying
 - 1. the manner of arriving at the remittable profit;
 - that the entire remittable profit has been earned by undertaking the permitted activities and
 - 3. that the profit does not include any profit on revaluation of the assets of the branch.
- II. Authorised Dealer Category I bank may permit intermittent remittances by project offices pending winding up / completion of the project subject to submission of the following:
 - i. certified copy of the final audited project accounts;
 - ii. the statutory auditor's certificate showing the manner of arriving at the remittable surplus and confirming that sufficient provisions have been made to meet the liabilities in India including Income Tax, etc.; and
 - iii. An undertaking from the project office that the remittance will not, in any way, affect the completion of the project in India and that any shortfall of funds for meeting any liability in India will be met by inward remittance from abroad.

j. Acquisition of property

Acquisition of property by branch office/project office shall be governed by the guidelines issued under Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property outside India) Regulations.

k. Transfer of assets

A person resident outside India permitted under these Regulations to establish a branch office or liaison office or project office may apply to the concerned Authorised Dealer Category-I bank for transfer of its assets to a Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary or any other entity in India. Authorised Dealer Category-I bank shall be guided by the instructions laid down by Reserve Bank in this regard.

1. Annual Activity Certificate (AAC)

The branch office/liaison office may submit the Annual Activity Certificate (Annex D) as at the end of March 31 along with the audited financial statements including receipt and payment account on or before September 30 of that year. In case the annual accounts of the office are finalized with reference to a date other than March 31, the AAC along with the audited financial statements may be submitted within six months from the due date of the Balance Sheets to the Authorised Dealer Category-bank and the Director General of Income Tax (International Taxation), Drum Shape Building, I.P. Estate, New Delhi 110002.

AAC from a Chartered Accountant showing the project status and certifying that the accounts of the project office have been audited and the activities undertaken are in conformity with the general/ specific permission

given by the Reserve Bank may be submitted by the project office to the designated Authorised Dealer Category-I bank.

m. Closure of office and remittance of winding up proceeds

- I. Requests for closure of the branch office/liaison office may be submitted to the Authorised Dealer Category I bank along with the following documents:
 - Copy of the Reserve Bank's/Authorised Dealer Category-I bank's approval for establishing the office.
 - ii. Auditor's certificate:
 - indicating the manner in which the remittable amount has been arrived at and supported by a statement of assets and liabilities of the applicant, and indicating the manner of disposal of assets;
 - 2. confirming that all liabilities in India including arrears of gratuity and other benefits to employees, etc. of the office have been either fully met or adequately provided for;
 - 3. confirming that no income accruing from sources outside India (including proceeds of exports) has remained unrepatriated to India.
 - iii. Confirmation from the applicant/parent company that no legal proceedings in any Court in India are pending against the office and there is no legal impediment to the remittance.
 - iv. A report from the Registrar of Companies regarding compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, in case of winding up of the branch office/liaison in India.
 - v. Any other document/s, specified by the Reserve Bank/Authorised Dealer Category-I bank while granting approval.
- Remittance of winding up proceeds of branch or liaison office established in India shall be governed by the guidelines issued under Foreign Exchange Management (Remittance of assets) Regulations.

5. Approval of the Reserve Bank in certain cases for establishment of branch office, liaison office or project office or any other place of business in India

Any application from a person resident outside for opening of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business in India shall require prior approval of Reserve Bank in the following cases where

- a. the applicant is a citizen of or is registered/incorporated in Pakistan;
- b. the applicant is a citizen of or is registered/incorporated in Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Iran, China, Hong Kong or Macau and the application is for opening a liaison, branch or project office in Jammu and Kashmir, North East region and Andaman and Nicobar Islands;
- c. the principal business of the applicant falls in the four sectors namely Defence, Telecom, Private Security and Information and Broadcasting:

Provided that in the case of proposal for opening a project office relating to defence sector, no separate reference or approval of Government of India shall be required if the said non-resident applicant has been awarded a contract by/ entered into an agreement with the Ministry of Defence or Service Headquarters or Defence Public Sector Undertakings.

d. The applicant is a Non-Government Organisation, Non-Profit Organisation, Body/ Agency/ Department of a foreign Government.

Such applications shall be forwarded to the Reserve Bank, Foreign Exchange Department, Central Office Cell, New Delhi by the Authorised Dealer Category-I bank and be considered in consultation with the Government of India.

[No. FEMA 22(R) /RB-2016]

INDIRA NANU, Chief General Manager

Annex A

Format of the Letter of Comfort

[See Regulation 4 (a)]

The Authorised Signa	atory,
(Address of the Author	orised Dealer Category-I bank)
Dear Sir,	
Sub: Application for M/s	or establishment of branch / liaison office in India by our subsidiary / group company,
•	y refer to the application made by our subsidiary / group company, to your office for establishing branch / liaison office in India.
necessary financial s liability that may ar	(the parent company/group company) undertake to provide the upport for our subsidiary / group company's operations as a branch / liaison office in India. Any ise due to the functioning of the branch/liaison office in India will be met by us (the parent pany), in case of inability on part of the branch/liaison office to do so.
	sing the financial background of our company in the form of our latest Audited Balance Sheet / ertified by a Certified Public Accountant.
Yours faithfully,	
(Authorised Represent) tative of the parent company
	Annex B
	Schedule I
	[See Regulation 4 (b)]
Permitted activities	for a branch office in India of a person resident outside India
i.	Export/import of goods.
ii.	Rendering professional or consultancy services.
iii.	Carrying out research work in which the parent company is engaged.
iv.	Promoting technical or financial collaborations between Indian companies and parent or overseas group company.
v.	Representing the parent company in India and acting as buying/ selling agent in India.
vi.	Rendering services in Information Technology and development of software in India.
vii.	Rendering technical support to the products supplied by parent/group companies.
viii.	Representing a foreign airline/shipping company.

Schedule II

[See Regulation 4 (b)]

Permitted activities for a liaison office in India of a person resident outside India

- i. Representing the parent company / group companies in India.
- ii. Promoting export / import from / to India.
- iii. Promoting technical/ financial collaborations between parent / group companies and companies in India.
- iv. Acting as a communication channel between the parent company and Indian companies.

Annex C

Form FNC

[See Regulation 4 (c)]

[This application form shall be completed and submitted to the AD Category-I bank designated by the applicant along with the documents mentioned in item (viii) of the Declaration.]

Part I

No.	Details		Particulars
1.	i.	Full name and address of the applicant	
	ii.	Date and Place of incorporation / registration	
	iii.	Telephone Number(s)	
	iv.	Fax Number(s)	
	v.	E-mail ID	
2.	i.	Details of capital	
	ii.	Paid-up capital	
	iii.	Free Reserves/Retained earnings as per last audited Balance Sheet/Financial Statement	
	iv.	Intangible assets, if any	
3.	Brief de	escription of the activities of the applicant	
4.	i.	Value of goods imported from and / or exported to India by the applicant during each of the last three years:	
		a. Imports from India	
		b. Exports to India	

	ii.	Particulars of existing arrangements if any, for representing the company in India.	
	iii.	Particulars of the proposed liaison/ branch office:	
		Details of the activities/ services proposed to be undertaken/ rendered by the office	
		b. Place where the office will be located	
		c. Phone number	
		d. E-mail ID	
		e. Expected number of employees (with number of foreigners)	
5.	i.	Name and address of the banker of the applicant in the home country	
	ii.	Telephone & Fax Number	
	iii.	E-mail ID	
6.	For Nor	n-profit / Non-Government Organisations:	
	i.	Details of activities carried out in the host country and other countries by the applicant organisation	
	ii.	Expected level of funding for operations in India	
	iii.	Copies of the bye-laws, Articles of Association of the organization	
7.	For proj	ject offices:	
	i.	Reference no. and date of letter awarding the contract	
	ii.	Particulars of authority awarding the project/contract	
	iii.	Total amount of contract	
	iv.	Address/e-mail/telephone number/fax number of the project office	
	v.	Tenure of project office	
	vi.	Nature of project undertaken	
8.	-	ner information which the applicant company wishes to furnish in of this application.	

Part II- Additional information to be submitted by applicants where Reserve Bank's approval is necessary under Regulation 5 of Notification No. FEMA 22 (R)/2016-RB dated March 31, 2016

I. Details in respect of Company/ Firm

Sr.	Full name of	Date of	Address of Head	Previous	Details of earlier	Enclosed
No.	the company	registration of	Office, Regional	name of the	approvals or	application for
		the company	Office and	company if	rejections, if any,	branch
			Registered Office	any	(ref. no. and date)	office/liaison
						office/project
						office prescribed
						by DEA

II. Details in respect of Directors/Key Executives

Sr.	Full name of	Present	Date of	Parentage	Present and	Nationality	Passport	Contact
No.	Board of	position	Birth		permanent		Nos. and	address
	Directors and	held with			address		issue date	and
	Key	date (since						telephone
	Executives	when)						number
	(wherever							
	applicable)							

III. Details of shareholders of applicant company (all firms/companies/entities/individuals having shareholding more than 10 %)

Sr.	Full	Parentage	Date of	Permanent	Present	Present	Nationality (if	% of shares
No.	name		birth	address	address	position	holding dual	held in the
		Father/				held	nationality, both	company
		Mother					must be clearly	
							mentioned)	

IV. Details of criminal cases, if any, against the company / Director (s) for which security clearance is sought

a.	Name, ac	ddress and registration number of the company :
b.	Name and address of owners, promoters and directors of the company:	
	1.	
	2.	
	3	

c. Are the company owners, promoters or directors listed above, the subject of any

1. Preventive detention proceedings: Yes/No

2. Criminal proceedings : Yes/No

- d. If, Yes, please provide the following details
 - 1. Detention/case/FIR/warrant number:
 - 2. Police station/District/Agency :
 - 3. Section of law :
 - 4. Name and place of the court
- e. The above mentioned details are in respect of both India and any foreign country.

DECLARATION

We hereby declare that:

- i. The particulars given above are true and correct to the best of our knowledge and belief.
- ii. Our activities in India would be confined to the activities indicated in column 4(iii) (a)/7 (vi) above.
- iii. If we shift the office to another place within the city, we shall intimate the designated AD Category I bank. In the event of shifting the office to any other city in India, prior approval of the AD Category-I bank will be obtained.
- iv. We will abide by the terms and conditions that may be stipulated by the Government of India / Reserve Bank / designated AD Category I bank from time to time.
- v. We, hereby commit that we are agreeable to a report / opinion sought from our bankers abroad by the Government of India /Reserve Bank.
- vi. We understand that the approval, if granted, is from FEMA angle only. Any other approvals / clearances, statutory or otherwise, required from any other Government Authority/ Department/ Ministry will be obtained before commencement of operations in India.
- vii. We have no objection to the Reserve Bank placing the details of approval in public domain.
- viii. We enclose the following documents:
 - Copy of the Certificate of Incorporation / Registration; Memorandum of Association and Articles of Association attested by the Notary Public in the country of registration.

[If the original Certificate is in a language other than in English, the same may be translated into English and notarized as above and cross verified/attested by the Indian Embassy/ Consulate in the home country].

b. Audited Balance sheet of the applicant company for the last three/ five years in case of branch office/liaison office respectively.

[If the applicants' home country laws/regulations do not insist on auditing of accounts, an Account Statement certified by a Certified Public Accountant (CPA) or any Registered Accounts Practitioner by any name, clearly showing the net worth may be submitted]

- c. Bankers' Report from the applicant's banker in the host country / country of registration showing the number of years the applicant has had banking relations with that bank.
- d. Power of Attorney in favour of signatory of Form FNC in case the Head of the overseas entity is not signing the Form FNC.

(Signature of Authorised Official of the Applicant Company)

Name:

Designation:

Place:

Date:

Annex D

Annual Activity Certificate

(See Regulation 4(1)]

To whomsoever it may concern

This is to certify and confirm that during the period from to, the branch
office/liaison office/ project office/s with PAN No (wherever applicable) of
M/s, UIN (wherever applicable) has/ have undertaken only those activities
that have been specifically permitted by the Reserve Bank/ Authorised Dealer Category-I bank vide its approval letter/s
No/sand has/have complied with the terms and
conditions specified in the above mentioned letter/s. If there is any change in address and other contact details, the same
has been brought to the notice of the Authorised Dealer Category-I bank.
For Project Office only
2. Project status:
3. This is to certify that during the period from to, no inter-project funds transfer has been carried out without prior approval of the Reserve Bank.
(Signature of the Statutory Auditor/s)
(Name of the Chartered Accountant)
ICAI Membership No.:
Address:
Place:
Date: